न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
140/2022 प्रार्थनापत्र	31.03.2022	2-5-5/-2025

उनवान

1. उदा उर्फ उदयराम वल्द मुला जी गुर्जर, निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री अजीत सिंह उप पंजीयक, भीलवाडा
2. श्री आजाद सिंह चौहान पुत्र श्री शंकर सिंह चौहान निवासी पीपली तहसील व जिला भीलवाडा ।
3. श्री भैरूलाल माली पुत्र श्री अमरचन्द माली, निवासी हुरणिया खेडा, रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश – 39 (2)ए एवं धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री नानूलाल तेली उपस्थित।

2—विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश—39 (2)ए एवं धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्व ग्राम मालोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा के बेरुन हल्के में निम्न नम्बरान की कृषि आराजियात स्थित हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं आराजी संख्या 1601 रकबा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 1363 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1365 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी संख्या 1366 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1367 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 1370 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 1371 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1517 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1518 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 1519 रकबा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 1522 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1523 रकबा 17 बिस्वा, 1524 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1525 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 1593 रकबा 01 बीघा, आराजी संख्या 1596 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1602 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1603 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1604 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1608 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 1609 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 1610 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1611 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1612 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1628 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 25 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम गुर्जर व न्यायालय आप के समक्ष प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 172/2008 राजस्व वाद व प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 300/2008 में विपक्षी मैरु के दादा कालु गुर्जर थे। कालु गुर्जर के तीन पुत्र गोकल, मुला, बरदा पैदा हुए। गोकल जी के तीन पुत्र उगमा, दयाराम व सुखा पैदा हुए। दयाराम के उसकी पत्नी बाली व रतन हैं व सुखा के एक पुत्र छोटु का जन्म हुआ। मुला जी के दो पुत्र उदा (प्रार्थी) व उक्त भैरु गुर्जर पैदा हुए भैरु की अभी दिनांक 19.01.2022 को मृत्यु हो गई। मृतक भैरु अपनी छोटी आयु बचपन में ही लाऔलाद बरदा के गोद चला गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त वर्णित पारिवारिक वर्णन के अनुसार बरदा के कोई नर संतान नही होने से उक्त भैरु को छोटी आयु में ही मुला जी ने अपने जीवनकाल मे अपनी मृत्यु से पूर्व ही गोद ले लिया। इस सम्बन्ध में बरदा के खाते की आराजियात भैरु मु. बरदा के नाम राजस्व माली कागजों में अभिलिखित हैं। राजस्व माली कागजों में भैरु का बरदा के यहां गोद चले जाने से बरदा के खाते की आराजियात का उक्त वर्णित सामलाती आराजियात में भैरु के नाम पर अभिलिखित हो गई लेकिन राजस्व माली कागजों मे मुला के परिवार में प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम के साथ उसके गोद गये भाई भैरु का नाम अभिलिखित हो गया जबकि भैरु बरदा के यहां गोद चला गया इस कारण मृतक भैरु का नाम मुला के परिवार में से अर्थात् प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम के साथ इन्द्राजित इन्द्राज को हटाया जाना आवश्यक हैं और मुला के हिस्से की प्रार्थनापत्र में वर्णित सामलाती आराजियात में तनहा खातेदार प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम ही हैं कि घोषणा कराया जाना आवश्यक हैं अर्थात् बेमुकाबले विपक्षी भैरु यह घोषणा की जाना आवश्यक हैं कि मुला के हिस्से की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात में विपक्षी भैरु का कोई हक अधिकार अवशेष नहीं हैं और तनहा प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम ही मुला के हिस्से की अर्थात् प्रार्थनापत्र में वर्णित सामलाती आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक हैं की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी हैं इस हेतु प्रार्थी उदा उर्फ उदयराम की ओर से वाद एवं प्रार्थनापत्र विपक्षी भैरु व अन्य के विरुद्ध वाद एवं प्रार्थनापत्र न्यायालय आप में पेश किया गया है।

विपक्षी भैरु का बरदा के यहां गोद जाने के उपरान्त भी उसका नाम मुला के परिवार में अर्थात् मुला का वास्तविक पुत्र होने के नाते उसका नाम अभिलिखित हो गया और दूसरी ओर इसी ज़मांबंदी में विपक्षी भैरु का बरदा के यहां गोद जाने से प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात में बरदा के हिस्से की आराजियात का खातेदार कृषक होना अभिलिखित हैं। हिन्दु विधि के अनुसार जब विपक्षी भैरु बरदा के यहां गोद चला गया तब वह मुला के परिवार का सदस्य नहीं रह गया इस कारण मुला के हिस्से की आराजियात का तनहा खातेदार कृषक प्रार्थी ही हैं, की घोषणा किया जाना आवश्यक हैं इस हेतु वाद एवं प्रार्थनापत्र वादी की ओर से विपक्षी भैरु व अन्य विपक्षी संख्या 1 उप पंजीयक, भीलवाडा के विरुद्ध न्यायालय आप में पेश किया गया। विपक्षी भैरु मुला का वास्तविक पुत्र होने से उसका नाम राजस्व माली कागजों में अभिलिखित हो जाने से वह अपने नाम का दुरुपयोग कर उसका कोई कब्जा व दखल मुला के 1/3 हिस्से की आराजियात के किसी भाग पर नहीं होते हुए भी विपक्षी भैरु मूला के हिस्से की आराजियात को भू–माफियाओं दलालों के मार्फत हस्तान्तरित व खुर्दबुर्द करने पर उतारु हुआ और प्रार्थी के कब्जे काश्त में भी आवश्यक हस्तक्षेप पैदा करता रहता हैं। इस हेतु घोषणा के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा भी विपक्षी भैरु व अन्य के विरुद्ध जारी की जाना आवश्यक हैं कि वाद एवं प्रार्थनापत्र में वर्णित सम्मिलित आराजियात में से मूला के 1/3 हिस्से की आराजियात को किसी प्रकार से हस्तान्तरित व रहन बय बक्षीश नहीं करे करावे व न किसी बैंक अथवा सोसायटी से ऋण आदि लेकर भारयुक्त करे करावे की स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी भैरु गुर्जर व उप पंजीयक, भीलवाडा के विरुद्ध की जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 भैरु मुतबन्ना बरदा गुर्जर व उपपंजीयक, भीलवाड़ा के विरुद्ध वाद एवं प्रार्थनापत्र न्यायालय आप के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके वाद के प्रकरण संख्या 172/2008 राजस्व वाद है एवं इसके साथ एक स्थगन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–212 आरटी एक्ट भी प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 300/2008 प्रार्थनापत्र हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त वाद पत्र संख्या 172/2008 के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 300/2008 में न्यायालय आप द्वारा दिनांक 01/10/2008 को वादग्रस्त आराजियात जिसका कि वर्णन इस प्रार्थनापत्र की पैरा संख्या 01 में किया गया हैं के बावत् विपक्षीगण संख्या 01 भैरु मुतबन्ना बरदा व 02 उपपंजीयक भीलवाड़ा द्वारा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था तथा दिनांक 05.04.2011 को न्यायालय आप द्वारा गुणावगुण पर उक्त स्थगन प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 300/2008 को अंतिम रुप से स्वीकार कर यह आदेश पारित किया गया कि विपक्षी संख्या 01 भैरु व विपक्षी संख्या 02 उपपंजीयक भीलवाड़ा वादग्रस्त आराजियात जिसका कि वर्णन इस प्रार्थनापत्र की पैरा संख्या 01 में किया गया है जो कि ग्राम मालोला में स्थित हैं के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं बेचान ताफैसला वाद नहीं करे। उक्त आदेश वर्तमान में निरन्तर प्रभावी चला आ रहा हैं।

उक्त स्थगन आदेश वाद संख्या 172/2008 में अन्तिम निर्णय होने तक जारी हैं और विपक्षी भैरु व उपपंजीयक भीलवाड़ा को भी इस स्थगन आदेश की स्थगन प्रार्थनापत्र मे पक्षकार होने से पूरी जानकारी हैं फिर भी विपक्षी भैरु गुर्जर को आरम्भ से ही जानकारी होने एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 को उक्त स्थगन आदेश की प्रार्थी द्वारा विक्रयपत्र से पुर्व मे जानकारी देने के उपरान्त भी एवं विपक्षी संख्या 01 को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के उपरान्त एवं उसके स्थगन आदेश के प्रार्थनापत्र में पक्षकार होने के उपरान्त भी उक्त सभी विपक्षीगण ने आपस में मिलीभगत न्यायालय आप द्वारा पारित किये गये उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना करने की नियत से उक्त वर्णित आराजियात में से आराजी संख्या 1365/1, 1366, 1367/1, 1370, 1517, 1518, 1519, 1603, 1604, 1608, 1609, 1609/2, 1609/4, 1612/2, 1628/2 का विक्रय विपक्षी संख्या 02 व 03 को कर दिया। विपक्षी संख्या 02 व 03 को भी उक्त स्थगन आदेश की व विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे की पूरी जानकारी हैं फिर भी उसने इस स्थगन आदेश की अवहेलना करने की नियत से मृतक विपक्षी भैरु से अपने पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 02.08.2021 पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 703, पृष्ठ संख्या 04, क्र. सं. 202103026107798 निष्पादित कर विपक्षी संख्या 01 से अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया। विपक्षी संख्या 01 व भैरु गुर्जर उक्त स्थगन प्रार्थनापत्र में पक्षकार थे। प्रार्थी के पक्ष में उक्त स्थगन आदेश की आरम्भ से ही विपक्षी संख्या 01 उप पंजीयक, भीलवाडा व भैरु गुर्जर को पूरी जानकारी थी फिर भी उन्होने विक्रयपत्र का पंजीयन कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित स्थगन आदेश की विपक्षी मृतक भैरु गुर्जर व इस प्रार्थनापत्र में वर्णित विपक्षीगण ने न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित स्थगन आदेश की घोर अवहेलना व अवमानना की जो कि कोर्ट ऑफ कन्टेक्ट की परिभाषा में आता हैं जो कि दण्डनीय हैं।

न्यायालय आप द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेश की विपक्षी भैरु गुर्जर व विपक्षी संख्या 01 उपपंजीयक भीलवाड़ा को आरम्भ से ही जानकारी हैं तथा उक्त दोनों स्थगन प्रार्थनापत्र में पक्षकार हैं किन्तु विपक्षी संख्या 01 जो कि सरकारी मुलाजिम होकर जिम्मेदार अधिकारी हैं तथा जिसका यह कर्तव्य हैं कि वह न्यायालय के आदेश की अक्षरक्ष पालना करे लेकिन विपक्षी संख्या 01 ने मृतक भैरु गुर्जर व विपक्षी संख्या 02 व 03 के साथ मिलीभगत कर नाजायज लाभ अर्जित कर न्यायालय श्रीमान् के स्थगन आदेश की अवहेलना व अवज्ञा कर विवादग्रस्त आराजियात पर न्यायालय का स्थगन आदेश होते हुए भी विपक्षी संख्या 02 व 03 के पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 02.08.2021 का पंजीयन किया जो कि सरासर न्यायालय के आदेश की अवहेलना व अवज्ञा हैं इस कारण तत्कालीन उप पंजीयक, अजीत सिंह विपक्षी संख्या 1 को व विपक्षी संख्या 2 व 3 आजाद सिंह व भैरूलाल माली कोर्ट ऑफ कन्टेक्ट के अवैध कृत्य के तहत् दण्डित कराया जाकर उक्त विक्रयपत्र दिनांक 02.08.2008 को बेमुकाबले प्रार्थी शुन्य घोषित कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं।

न्यायालय अधिकारी
भीलवाड़ा

इस प्रकार से विपक्षीगण को न्यायालय आप द्वारा पारित स्थगन आदेश की भलिभांति जानकारी होने के बाजवूद भी न्यायालय आप के स्थगन आदेश की पालना नहीं कर कानून को अपने हाथ में लेकर एवं न्यायालय के आदेश की जानबूझकर निरन्तर अवज्ञा, अवहेलना एवं अवमानना की हैं एवं कर रहे हैं। विपक्षीगण का उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति का होकर गंभीर दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है इस कारण विपक्षीगण को उनके उक्त कृत्य बाबत् दण्डित किया जाना आवश्यक है तथा उनकी चल अचल सम्पति को कुर्क व नीलाम किया जाना भी आवश्यक हैं। विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने सरकारी पद पर रहते हुए विक्रयपत्र का पंजीयन किया व न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना व अवज्ञा की हैं इस कारण उनको दण्डित कराया जाकर उनके खिलाफ विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही भी कराया जाना आवश्यक है एवं विपक्षी संख्या 01 से उक्त अवैध तौर स्थगन आदेश होने के उपरान्त विवादग्रस्त आराजियात बाबत् पंजीकृत किये गये उक्त विक्रयपत्र दिनांक 02.08.2021 को बेमुकाबले प्रार्थी शुन्य बेअसर कराये जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 व 02 से उक्त मूल विक्रयपत्र दिनांक 02/08/2021 तलब कराया जाकर विक्रयपत्र शुन्य, निष्प्रभावी, रद्द, निरस्त बाबत् मूल विक्रयपत्र व उप पंजीयक रेकार्ड मे विपक्षी उप पंजीयक, भीलवाडा से नोट डलवाया जाना आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय आप के उक्त स्थगन आदेश की अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना करने के जुर्म में विपक्षीगण अजीत सिंह तत्कालीन उप पंजीयक व विपक्षी संख्या 2 व 3 आजाद सिंह व भैरूलाल माली को कठोर कारावास से दण्डित कराया जावे एवं उनकी चल अचल सम्पति को कुर्क, नीलाम कराया जावे एवं अवैध विक्रयपत्र दिनांक 02.08.2021 को शुन्य, निष्प्रभावी, रद्द, निरस्त होने बाबत् मूल विक्रयपत्र व इस बाबत उप पंजीयक रेकार्ड भीलवाडा में उप पंजीयक, भीलवाडा से नोट डलवाया जाकर उक्त विक्रंयपत्र दिनांक 02/08/2021 को अवैध निरस्त कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 व 03 के सम्मन तामील होने के उपरान्त भी दिनांक 20.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये विपक्षी संख्या 01 द्वारा पत्रांक 241 दिनांक 12.05.2022 से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है जो निम्नानुसार है :–

वादीगण के नाम उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज रिकार्ड है तो उसकी यथास्थिति बनाए रखने हेतु ताफेसला वाद विपक्षी संख्या 01 के अलावा वादी एवं प्रतिवादी गण सम्यक रूप से जिम्मेदार है। विपक्षी संख्या उप पंजीयक का पदीय दायित्व मात्र पक्षकारान द्वारा निष्पादित दस्तावेज पर पंजीयन एवं मुद्रांक कर राजस्व का निर्धारण कर राजकोष में जमा करना है। विपक्षी सं० 01 किसी भी तरह से स्थगन के अवमानना का भागीदार या दोषी नही है, अवमानना हेतु विक्रेता एवं क्रेता के खिलाफ ही अवमानना प्रकरण प्रभावी हो सकता है। विपक्षी सं० 01 के विरूद्ध अवमानना प्रकरण गलत होकर खारीज योग्य है। विपक्षी सं० 01 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रकरण में कोई राज्य हित नहीं होने से प्रार्थी व अन्य विपक्षी गण ही वाद एवं प्रार्थना पत्र मे पारित आदेशों हेतु पालना बाबत जिम्मेदार है। विपक्षी स० 01 के विरूद्ध कोई कार्यवाही होने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र विपक्षी सं० 01 के विरूद्ध खारीज योग्य है। विपक्षी सं० 01 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे कोई वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रकरण सं० 172/2008 राजस्व वाद एवं प्रकरण सं० 300/2008 प्रार्थना पत्र कार्यालय की कम्प्युटीकृत ऑनलाईन स्थगन की व्यवस्था में प्राप्त होकर दर्ज नही है। लेकिन पक्षकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इसकी जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर तत्काल प्रभाव से उक्त सभी आराजीयात दर्ज कर ली गई है। अब उक्त आराजीयात का पंजीयन हेतु कोई भी दस्तावेज पेश होगा तो कम्प्युटर स्वतः ही पंजीयन रोक देगा।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पक्षकारान एवं प्रार्थी/वादी द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2011 स्थगन बाबत सूचना कार्यालय में पेश नही करने से एवं राजहित निहित नही होने से विपक्षी सं० 01 के माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था व समय पर स्थगन की जानकारी नहीं हो सकी। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा कार्यालय में स्थगन हेतु जानकारी प्रस्तुत नही की गई थी। विपक्षी सं० 01 को उक्त स्थगन आदेश से अवगत नहीं कराया गया अतः आदेश की कोई अवहेलना नहीं की गई है। स्थगन की पालना करने हेतु विपक्षी सं० 01 के अलावा अन्य विपक्षी गण ही जिम्मेदार है। विपक्षी सं० 01 के विरूद्ध कोई अवमानना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। जमाबंदी में भी स्थगन का कोई इन्द्राज दर्ज नहीं था इसलिए विपक्षी सं० 01 जवाबदाता को उक्त स्थगन की कोई जानकारी नहीं हो सकी व, मूल वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र में राजहित निहित नहीं होने से एवं उप पंजीयक मात्र औपचारिक पक्षकार है व विपक्षी सं० 01 न्यायालय में वक्त सुनवाई उपस्थित नही रहा है। पक्षकारान का आपसी विवाद होकर इससे उत्पन्न होने वाले उचित/अनुचित लाभ/परिलाभों के लिए वादी एवं अन्य प्रतिवादी ही पूर्णतया जिम्मेदार है। विपक्षी सं० 01 ने कोई आदेश की अवहेलना या अवज्ञा नहीं की है। व कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का कोई अवैध कृत्य भी नहीं किया है जवाबदाता किसी तरह का दण्ड पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं० 01 को गलत तौर दुर्भावनावश पक्षकार बनाया गया है। व जवाबदाता ने जान बुझकर किसी तरह की कोई अवज्ञा अवहेलना एवं अवमानना नहीं की है। व नही कोई गलत गम्भीर कृत्य ही किया है। माननीय न्यायालय द्वारा वादी/प्रार्थी के पक्ष में वाद डिक्री किया जाता है तो रजिस्ट्री स्वतः ही प्रभावहीन होकर शुन्य हो जावेगी व प्रार्थी विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश से शुन्य निष्प्रभावी रद्द करा सकता है। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही होने योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण में अप्रार्थी सं० 01 के विरूद्ध झुठा, मनगढन्त, बेबुनियाद निराधार अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की सूचना नहीं देने व विपक्षी सं० 02 एवं 03 द्वारा जानते हुए स्थगन आदेश की बात छिपाकर दस्तावेज पंजीयन कराया गया है एवं जमा बंदी मे भी स्थगन का कोई इन्द्राज दर्ज नही है अतः स्पष्टतः अवमानना का कृत्य विपक्षी 02 व 03 ने कारित किया गया है विपक्षी संख्या 01 ने मौके की यथास्थिति या रिकार्ड का यथास्थिति में कोई परिवर्तन नही किया है। बल्कि विपक्षी संख्या 02 एवं 03 द्वारा लिखित दस्तावेज पर पंजीयन एवं मुद्रांक कर निर्धारण कर राशि नियमानुसार राजकोष में जमा की है। जवाबदाता के विरूद्ध कोई कन्टेम्प्ट की कार्यवाही चलने योग्य नही है। प्रकरण खारीज योग्य है।

विपक्षी सं० 01 के यहा किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत तोर पर विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया जाता है तो राजस्व मूल वाद मे निर्णय से स्वतः प्रभावित होता है एवं प्रभावित व्यक्ति सक्षम सिविल न्यायालय के छद्म विक्रय पत्र को शुन्य, निष्प्रभावी. रद्. निरस्त करा सकता है, व विपक्षी सं० 01 माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रभावित दस्तावेज पर उक्त रद्द करने का पृष्ठाकंन अंकित कर माननीय न्यायालय में आदेश की पालना सदैव प्रेषित करता है। प्रार्थी ने जवाबदाता के विरूद्ध झुठा, मनगढंत, निराधार न्याय के सिद्धान्तों से परे कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कोई सत्यता नहीं है। पक्षकारान का आपसी विवाद है जवाबदाता को गलत तौर पर पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 सव्यय खारिज कराया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र श्री उदा उर्फ उदयराम पुत्र मूला गुर्जर निवासी मालोला का प्रस्तुत किया जिसका मुख्य परीक्षण दिनांक 28.11.2022 को किया गया। विपक्षी द्वारा जिरह नहीं की गई।

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 300/2008 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में श्री भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर निवासी मालोला के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.05.2011 को इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम मालोला के आराजी संख्या 1601 रकबा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 1363 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1365 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी संख्या 1366 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1367 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 1370 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 1371 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1517 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1518 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 1519 रकबा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 1522 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1523 रकबा 17 बिस्वा, 1524 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1525 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 1593 रकबा 01 बीघा, आराजी संख्या 1596 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1602 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1603 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1604 रकबा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1608 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 1609 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, आराजी संख्या 1610 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1611 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1612 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, आराजी संख्या 1628 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 25 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा भूमि की विपक्षी रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें व बेचान ताफैसला वाद नहीं करें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर निवासी मालोला एवं उपपंजीयन अधिकारी भीलवाडा के विरूद्ध जारी की गई लेकिन प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39(2) एवं धारा 151 जा0दी0 में श्री भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर को पक्षकार नहीं बनाया गया।

श्री भैरू आत्मज मूला गुर्जर गोदपुत्र बरदालाल गुर्जर निवासी मालोला ने दिनांक 04.05.2011 को इसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त भी वादग्रस्त आराजियात में से कुल किता 15 कुल रकबा 1.7702 हैक्टैयर भूमि का दिनांक 02.08.2021 को श्री आजाद सिंह चौहान एवं श्री भैरूलाल माली के पक्ष में पंजीयन करवा दिया। इस प्रकार न्यायालय आदेश की अवमानना श्री भैरू आत्मज मूला गुर्जर गोदपुत्र बरदालाल गुर्जर निवासी मालोला द्वारा की गई है। लेकिन प्रार्थी श्री उदा उर्फ उदयराम पुत्र मूला गुर्जर निवासी मालोला ने इस प्रार्थना पत्र में भैरू आत्मज मूला गुर्जर गोदपुत्र बरदालाल गुर्जर निवासी मालोला को पक्षकार नहीं बनाया गया।

श्री अजीत सिंह, उपपंजीयक भीलवाडा ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रकरण संख्या 300/2008 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.05.2011 की प्रति उन्हे प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 ने न्यायालय आदेश की अवमानना नहीं की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 01 के जवाब का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। वादग्रस्त आराजियात के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से दिनांक 04.05.2011 को प्रकरण संख्या 300/2008 में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षी श्री भैरू मुतबन्ना बरदा गुर्जर निवासी मालोला के जारी की गई। इस अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरान्त भी श्री भैरू आत्मज मूला गोदपुत्र बरदा गुर्जर ने वादग्रस्त आराजियात किता 15 रकबा 1.7702 हैक्टेयर भूमि का पंजीयन दिनांक 02.08.2021 को श्री आजाद सिंह व श्री भैरूलाल माली के पक्ष में करवा दिया जो न्यायालय आदेश की अवमानना की श्रेणी में आती है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में श्री भैरू पिता मूला मुतबन्ना बरदा गुर्जर निवासी मालोला को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 300/2008 निर्णय दिनांक 04.05.2011 के स्थगन की प्रति विपक्षी संख्या 01 श्री अजीत सिंह, उपपंजीयक, भीलवाडा को प्रेषित नहीं होने से इनके विरूद्ध भी अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव्

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39(2) एवं धारा 151 जा0दी0 दिवानी में श्री भैरू पिता मूला गोदपुत्र बरदा गुर्जर निवासी मालोला द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 1365/1, 1366, 1367/1, 1370, 1517, 1518, 1519, 1603, 1604, 1608, 1609, 1609/2, 1609/4, 1612/2, 1628/2 कुल किता 15 कुल रकबा 1.7702 हैक्टेयर भूमि को श्री आजाद सिंह चौहान व श्री भैरूलाल माली के पक्ष में दिनांक 02.08.2021 को पंजीयन कराया गया जबकि उक्त आराजी के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 300/2008 निर्णय दिनांक 04.05.2011 भैरू आत्मज मूला गोदपुत्र बरदा गुर्जर के विरूद्ध जारी की गई। प्रार्थी ने भैरू आत्मज मूला गोदपुत्र बरदा गुर्जर को पक्षकार नहीं बनाया जाने से एवं अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.05.2011 के निर्णय की प्रति विपक्षी संख्या 01 उपपंजीयक भीलवाडा को प्राप्त नहीं होने से इनके द्वारा अवमानना किया जाना सिद्ध नहीं होता है एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 के द्वारा भी अवमानना किया जाना सिद्ध नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39(2) एवं धारा 151 जा0दी0 का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा